कार्यालय कलेक्टर (स्थापना शाखा) जबलपुर

//आदेश//

क्रमांक/ 4961 /वि.लि.(1)/2026 जबलपुर दिनांक 20 जुलाई, 2026

विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 17.07.2026 में की गई अनुशंसा के अनुक्रम में राजस्व स्थापना जिला जबलपुर अन्तर्गत पदस्थ निम्लिखित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (भृत्य) को कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से स्थानापन्न रूप से आगामी आदेश तक सहायक ग्रेड-3 के पद पर सातवे वेतनमान लेवल-4 रुपये 19500-62000/- में पदोन्नत किया जाता है:-

क्रमांक	शासकीय सेवक का नाम
1	श्रीमती जमुना बैगा
2	श्रीमती अंशुलता बैगा
3	श्री मोतीलाल बैगा
4	श्री डेनियल दास
5	श्री शारदा प्रसाद कोरी
6	श्री गुलाब सिंह ठाकुर
7	श्री अमित उपाध्याय
8	श्री गनेश सिंह सोनी
9	श्री सतीश खरे
10	श्री गुड्डा बैगा
11	श्री उमेश कुमार भारती
12	कु. क्रांती बैगा (विकलांग)
13	श्री दादूराम बैगा
14	श्री सुरेश कुमार बैगा
15	श्री सेवालाल बैगा
16	श्री रामनाथ बैगा
17	श्री महेन्द्र कुमार धुर्वे (दृष्टिबाधित)
18	श्री शेखर हल्वा
19	श्री सतईराम विश्वकर्मा
20	श्री राजेन्द्र प्रसाद काछी
21	श्रीमती सरस्वती कुशवाहा (मूकबधिर)

Scanned with OKEN Scanner

22	श्रीमती प्रीति कोल्हे
23	श्री जगजीत सिंह
24	श्री गौरव सेन
25	श्री प्रमोद कुमार कोष्टा (दृष्टिबाधित)
26	कु. स्वाती दुबे
27	श्री गजेन्द्र सेन
28	श्री रमेश कुमार पटवा

2- उपर्युक्त पदोन्नति मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 के अन्तर्गत दो वर्ष की परीक्षण (परिवीक्षा) अवधि के लिए होगी। परीक्षण अवधि के दौरान पदोन्नत शासकीय सेवक को सहायक ग्रेड-3 के पद की निर्धारित निम्नलिखित योग्यताएं उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा:-

(क) शासन द्वारा मान्यता प्राप्त वि.वि./संस्था से एक वर्षीय कम्प्यूटर डिप्लोमा।

(ख) विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित कम्प्यूटर टायपिंग दक्षता प्रमाण पत्र (CPCT स्कोर कार्ड)।

उपरोक्तानुसार निर्धारित वांछित योग्यताएं निर्धारित अवधि में प्राप्त नहीं किये जाने पर पदोन्नत शासकीय सेवक को उसके मूल पद/सेवा पर प्रत्यावर्तित कर दिया जावेगा।

3- इस आदेश के जारी होने के पश्चात यदि मध्यप्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम 2025 के नियम 10 के तहत पदोन्नति हेतु विचारण अवधि में यदि कोई अनुपयुक्तता परिलक्षित होती है, तो यह आदेश संबंधित शासकीय सेवक के पक्ष में स्वमेव निरस्त माना जावेगा।

4- प्रमाणित किया जाता है कि मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण) अधिनियम 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) तथा मध्यप्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम 2025 के उपबंधों और उक्त अधिनियम तथा नियमों के उपबंधों के प्रकाश में राज्य सरकार द्वारा किये गये अनुदेशों का अनुपालन किया गया है तथा उसे उक्त अधिनियम की धारा-6 की उप धारा (1) के उपबंधों का पूर्ण संज्ञान है।

5- उपरोक्त समस्त पदोन्नतियां माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित विशेष अनुमति याचिका क्रमांक 13954/2016 तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय द्वारा भविष्य में पारित किए जाने वाले आदेशों के अध्यधीन होगी।

6- समस्त पदोन्नत किये गये शासकीय सेवक वर्तमान में जिस कार्यालय में पदस्थ है उसी कार्यालय में उच्च पद का कार्यभार ग्रहण करेंगे। समस्त पदोन्नत लोक सेवकों को अपने निम्न पद के कार्यभार से उच्च पद का कार्यभार ग्रहण करने हेतु तत्काल प्रभाव से भारमुक्त किया जाता है। नवीन पदस्थापना आदेश पृथक से जारी किये जावेंगे।

Scanned with OKEN Scanner

7- जिन पदोन्नत शासकीय सेवकों को इस आदेश द्वारा स्वीकृत वेतनमान अथवा इससे उच्च वेतनमान पूर्व में समयमान वेतनमान योजना के अन्तर्गत स्वीकृत किया जा चुका है, उन्हें छोड़कर शेष शासकीय सेवकों को मध्यप्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम 2025 के नियम 13 के अनुसार आदेश प्राप्त होने की तिथि से एक माह के भीतर वेतन निर्धारण संबंधी विकल्प प्रस्तुत करना होगा।

8- यदि पदोन्नत शासकीय सेवक के विरुद्ध कोई विभागीय जांच आपराधिक प्रकरण चल रहा है अथवा प्रकाश में आता है तथा वह निलंबित है, तो ऐसे शासकीय सेवक के संबंध में यह पदोन्नति आदेश शून्य प्रभावी माना जावेगा।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

20/7/26

कलेक्टर

जबलपुर(म.प्र)

पृ.क्रमांक/4961/वि.लि.(1)/2026 **जबलपुर दिनांक 20 जुलाई,2026**

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल।
3. आयुक्त, भू-संसाधन प्रबंधन, 220 राजस्व राहत भवन, अरेरा हिल्स भोपाल।
4. आयुक्त, जबलपुर संभाग जबलपुर।
5. अपर कलेक्टर ग्रामीण/शहर-1/शहर-2 जिला जबलपुर।
6. प्रभारी अधिकारी, वित्त शाखा कार्यालय कलेक्टर जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. प्रभारी अधिकारी.. कलेक्ट्रेट जबलपुर को सूचनार्थ।
8. जिला कोषालय अधिकारी, जिला जबलपुर।
9. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), समस्त जिला जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
10. तहसीलदार समस्त, जिला जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. स्टेनो टू कलेक्टर/अधीक्षक कलेक्ट्रेट जबलपुर की ओर सूचनार्थ।
12. सर्वसंबंधित...की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

20/7/26

कलेक्टर

जबलपुर(म.प्र)

Scanned with OKEN Scanner